ालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आर.टी.एस.)

दिनांक–6.3.18

मि.न.– 178 / 2017

निर्णय

सराकर बनाम सुरेश

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पनियाला ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम कालूहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0147 / 2.82है0 किस्म बारानी–3 मेंसे 0.24है 0पर सुरेश पुत्र अडीसाल जाति गुर्जर निवासी कालूहेडा तहसील कोटपूतली ने जौ कास्त कर अवैध रूप सं अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(3)के तहत नोटिस दिया गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किया गया ।सूचना के उपरान्त गैरसायल जरीये अधिवक्ता गौरव शर्मा उपस्थित आये कोई जबाब पेश नहीं किया । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने प्रकरण में संबन्धित पटवारी के बयान लिए जाकर संलग्न पत्रावली किये गये। पटवारी हल्का ने बताया कि वाके ग्राम कालूहेडा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 147 / 2.82है मुताबिक राजस्व रिकार्ड किस्म बारानी–3 है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड सरकारी भूमि है। जिस पर सं02073 में भी गैरसाल ने इसी प्रकार अतिक्रमण किया था जिसको मौके पर से पूर्व में बेदखल कर दिया गया था लेकिन इस बार पुनः अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायलान बार–बार अतिक्रमण करने के आदि है एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं। जिनको कठोर कार्यवाही से दण्डित किया जाना न्याय संगत है।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि अतिक्रमी बार– बार अतिक्रमण करने का आदि है।पटवारी रिपोर्ट एवं बयानों से गैरसायल का पाश्चातवृति अतिक्रमण बखूबी साबित होता है।इस प्रकार गैरसायल को अक्रिमण से नहीं रोका गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने का प्रोत्साहन मिलेगाा । जिससे ग्रामीण जन में आक्रोश व तनाव उत्पन्न होगा । जिससे इलाका क्षेत्र में शांन्ति भंग हो सकती

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसलिए गैरसायल को उक्त आरजीयात के साथ–साथ सिविल कारावास से दण्डित किया जाना विधिसम्मत है।

अतः गैरसायल सुरेश पुत्र अडीसाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालूहेडा को ग्राम के आराजी खसरा नंबर 147/2.82है0किस्म जमीन बारानी–3 में से 0.24है0 पर घोषित करते हुए उक्त आराजीयात से बेदखल किया जाता है,तथा नाजायज रूप अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.72रू. का पचास गुणा 36रू. का जुर्माना किया जाता है ,एवं उक्त आराजीयात पर खडी फसल जौ को कब्जेराज ली जाकर फसल निलामी की जावे,पालनार्थ आई.एल.आर./पटवारी हल्का को लिखा जावे । जमा कायमी हेतु टी.आर. ए. को लिखा जावे, गैरासलान पाश्चातवृति अतिक्रमि होने के कारण गैरसायल को तीन साह के सिविल कारावास से दण्डित किया जाता है।पालनार्थ संबन्धित पुलिस थाना अधिकारी को वारन्ट गिरफ्तारी जारी होकर बाद तामिल प्रत्रावली दिनांक23.3.18 को पेश हो।पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.3.18को सर्रे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 200 17-18 के ...
... 74 पर 30
...

...
कोटपूतली